कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैढ़न
CIN–U41000MP2012SGC028798
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in
Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 1344/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 दिनांक 24.05.23

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- वैढ़न-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वन भूमि पर सड़क के आरओडब्ल्यू में पाइप लाईन बिछाने की अनुमति। प्रकरण क्र. (1) FP/MP/WATER/153484/2022 (2) FP/MP/WATER/151344/2022 (3) FP/MP/WATER/151212/2022

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1269 दिनांक 15.05.2023
2. आपका पत्र क्र. 1029 दिनांक 26.04.2023 एवं 1049 दिनांक 27.04.2023

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/153484/2022, FP/MP/WATER/151344/2022 एवं FP/MP/WATER/151212/2022 में आवेदक संस्था से संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट की मांग की गई है जो वन परिक्षेत्र अधिकारी जियावन, कर्थुआ एवं गोरबी द्वारा प्रदान की जानी है।

प्रकरणों में आवेदित कक्ष क्रमांक वार रकवा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उप वन मण्डल अधिकारी वैढ़न, गोरबी से चाही गया है किन्तु प्रकरण आवेदक संस्था को वापस कर दिया गया है जबकि उपरोक्त प्रकरणों की त्रुटियों को वन विभाग के निरीक्षण टीम से संपर्क कर त्रुटि सुधार करवा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरणों में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उप वन मण्डल अधिकारी वैढ़न, गोरबी से प्राप्त कर अतिशीघ्र अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

o/c

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

क्रमांक 1345/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023 दिनांक 24.05.23

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर सूचनार्थ।
2. ओ.एस.डी. परमिशन, मध्यप्रदेश जल निगम मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

24/5/23

कार्यालय महाप्रबंधक

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

कार्यालय : कक्ष क्र. 44, प्रथम तल, कलेक्ट्रेट भवन, वैढ़न	CIN-U41000MP2012SGC028798
(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in	Email-gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in

क्रमांक 1269/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023	दिनांक 15.05.23

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- वैढ़न-1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत भूमिगत पाइपलाईन बिछाने हेतु 3.445 हे0 वन भूमि म.प्र. जल निगम मर्यादित सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/153484/2022

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्र. 2206 दिनांक 26.04.2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1156 दिनांक 01.08.2022

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र 1 के माध्यम से प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/153484/2022 में आवेदक संस्था द्वारा 3.445 हे0 का ऑनलाइन आवेदन किया गया था। उप वनमण्डल अधिकारी गोरबी, देवसर एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्थुआ के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में लिपिकीय त्रुटिवश रकवा 4.01265 हे0 दर्ज हो गया है प्रस्तुत पंचनामें भी भूमि का रकबा आवेदित रकबा के समतुल्य ही है। इस संबंध में वन विभाग की निरीक्षण टीम के साथ संपर्क कर त्रुटि सुधार करवा दिया गया है। परिवेश पोर्टल के ऑनलाईन पार्ट 1 में सुधार की आवश्यकता नहीं है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में आवेदित रकबा 3.445 हे0 की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

क्रमांक 1270 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023	दिनांक 15.05.23

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर सूचनार्थ।
2. ओ.एस.डी. परमिशन, मध्यप्रदेश जल निगम मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

16.5.23

कलेक्ट्रेट जिला-सिंगरौली

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का अधिकार

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सिंगरौली, दिनांक 26-04-2023

क्र0/मा0चि0/2266

प्रति,

महाप्रबंधक,
जल निगम मर्यादित,
परि.क्रि.ई. सिंगरौली, म0प्र0

विषय:– बैढ़न–1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 3.445 हे0 वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/WATER/153484/2022)

संदर्भ:– 1. महाप्रबंधक, म0प्र0 जल निगम मर्यादित परि.क्रि.ई सिंगरौली का पत्र क्रमांक 1156 सिंगरौली, दिनांक 01.08.2022

–000–

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/153484/2022 में आपके द्वारा प्रस्तावित रकवा 3.445 हे0 दिया गया है। जबकि उप वनमण्डल अधिकारी गोरबी, देवसर एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्थुआ के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कुल रकवा 4.01265 हे0 प्रभावित हो रहा है।

अतः आप ऑनलाईन पार्ट 1 में प्रस्तावित रकवा को सुधार कर परिवेश पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

26/4

(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 26-04-2023

पृ0क्र0/मा0चि0/2267

प्रतिलिपि:– उप वनमण्डल अधिकारी गोरबी, देवसर एवं वन की ओर सूचनार्थ प्रेषित। परिक्षेत्र अधिकारी कर्थुआ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उप वनमण्डल अधिकारी देवसर के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

कार्यालय महाप्रबंधक ... सिंगरौली (म.प्र.)
आवक क्र. 846
दिनांक 09.05.23
सहपत्र......

manager for n/a

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)
माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in. फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्र0 / मा0चि0 / 1029

सिंगरौली, दिनांक 26-04-2023

प्रति,

उप वन मण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल बैढ़न, गोरबी

विषयः– बैढ़न–1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वन भूमि पर सड़क के आर0ओ0डब्ल्यू0, में पाईप लाइन बिछाने की अनुमति। Proposal No. FP/MP/WATER/151344/2022

संदर्भः– 1. उप वन मण्डल अधिकारी गोरबी का पत्र कमांक 2802 सिंगरौली दिनांक 09.12.2022, पत्र कमांक 2582 सिंगरौली दिनांक 14.11.2022
2. उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न का पत्र कमांक 2412 सिंगरौली दिनांक 16.11.2022

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वृक्षों की गणना पत्रक गर्त अनुसार चाहा गया था। वन परिक्षेत्र गोरबी के कक्ष कमांक पी.एफ. 144,145 का रकवा 0.1615 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। पुनः कक्ष कमांक पी.एफ. 144 का रकवा 0.0366 हे0 दिया गया है इसका क्या औचित्य है।, वन परिक्षेत्र चितरंगी के कक्ष कमांक पी.एफ. 81,85 रकवा 0.041 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। पुनः कक्ष कमांक पी.एफ. 85 का रकवा 0.0035 हे0 एवं कक्ष कमांक 81 के रकवा दो बार रकवा प्रदर्शित है, इसका क्या औचित्य है। तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 403,307 के रकवा 0.0157 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। पुनः कक्ष कमांक आर.एफ. 403 रकवा 0.0050 हे0 एवं कक्ष कमांक आर.एफ. 307 रकवा 0.0138 हे0 प्रदर्शित हो रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कक्षों का स्पष्ट रकवा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन 02 दिवस के अन्दर देवें एवं ध्यान रखें कि कक्षों का रकवा देते समय कक्षों का उल्लेख एक से अधिक बार ना हों।

(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक 26-04-2023

पृ0क्र0 / मा0चि0 / 1030

प्रतिलिपिः–

1. वन परिक्षेत्र अधिकारी चितरंगी, गोरबी, माड़ा तथा बैढ़न की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.टी. क्रि. ई. सिंगरौली म0प्र. की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्र0/मा0चि0/ 1049 सिंगरौली, दिनांक 27-04-2023

प्रति,

उप वन मण्डल अधिकारी
उप वन मण्डल बैढ़न, गोरबी

विषयः– बैढ़न–1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वन भूमि पर सड़क के आर0ओ0डब्ल्यू0, में पाईप लाइन बिछाने की अनुमति। Proposal No. FP/MP/WATER/151212/2022

संदर्भः– 1. उप वन मण्डल अधिकारी गोरबी का पत्र कमांक 1912 सिंगरौली दिनांक 07.09.2022
2. उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न का पत्र कमांक 105 सिंगरौली दिनांक 12.01.2023
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा का पत्र कमांक 1457 दिनांक 31.07.2022

–000–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वृक्षों की गणना पत्रक गर्त अनुसार चाहा गया था। वन परिक्षेत्र गोरबी के कक्ष कमांक आर.एफ. 165,166 का रकवा 0.1513 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। पुनः कक्ष कमांक आर.एफ. 166 का रकवा 0.08955 हे0 दिया गया है इसका क्या औचित्य है।, वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष कमांक आर.एफ. 399,400 का रकवा 0.948 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। कक्ष कमांक आर.एफ. 308,309 का रकवा 0.0627 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। पुनः कक्ष कमांक आर.एफ. 309 का रकवा 0.0517 हे0 दिया गया है, कक्ष कमांक आर.एफ. 312,313 का रकवा 0.0765 हे0 दिया गया है एवं कक्ष कमांक आर.एफ. 255,256 का रकवा 0.1339 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था। इसका क्या औचित्य है। तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा के कक्ष कमांक पी. एफ. 419,420 के रकवा 0.3443 हे0 दिया गया है, जबकि दोनों कक्षों का अलग–अलग रकवा देना था।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कक्षों का स्पष्ट रकवा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन 02 दिवस के अन्दर देवें एवं ध्यान रखें कि कक्षों का रकवा देते समय कक्षों का उल्लेख एक से अधिक बार ना हों।

(मधु व्ही. राज)
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/मा0चि0/ 1050 सिंगरौली दिनांक 27-04-2023

प्रतिलिपिः–

1. वन परिक्षेत्र अधिकारी गोरबी, बैढ़न की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी माड़ा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उप वन मण्डल अधिकारी बैढ़न के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करे।
3. महाप्रबंध, जल निगम मर्यादित, परि.कि.ई. सिंगरौली मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली